

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(3) स्था/मंत्रा./अभि./2018/

11135-39

दिनांक:- 21/8/2018

-:: आदेश ::-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.11/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तो के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग | जन्म तिथि | कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है। | वि.विवरण |
|---------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | श्री गोपाल गनवानी, | अति. प्रशा. अधिकारी, पुलिस विभाग | 10.03.57 | एडीपी अजमेर | तृतीय बार |
| 2. | श्री प्रेम चन्द सिंघवी, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 14.10.54 | एडीपी अजमेर | तृतीय बार |
| 3. | श्री ओम प्रकाश तत्वेदी, | वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग | 06.07.54 | एडीपी अजमेर | तृतीय बार |
| 4. | श्रीमती मधुबाला शर्मा, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 19.08.55 | एडीपी अजमेर | तृतीय बार |
| 5. | श्री ओम प्रकाश मीणा, | अति. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग | 12.04.56 | एडीपी जयपुर शहर द्वितीय | तृतीय बार |
| 6. | श्री बनवारी लाल मील, | सहा. प्रशा. अधिकारी, अभि. विभाग | 08.05.57 | एडीपी सीकर | तृतीय बार |
| 7. | श्री कैलाश चन्द शर्मा, | अति. प्रशा. अधिकारी, अभि. विभाग | 07.11.53 | एडीपी सीकर | तृतीय बार |
| 8. | श्री आनन्द प्रकाश गोयल, | वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग | 15.09.54 | एडीपी भरतपुर | तृतीय बार |
| 9. | श्री पूर्णसिंह छीलर, | मुंसरिफ, न्याय विभाग | 04.06.55 | एडीपी हनुमानगढ | तृतीय बार |
| 10. | श्री महावीर प्रसाद तिवाडी, | वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग | 04.07.55 | एडीपी हनुमानगढ | तृतीय बार |
| 11. | श्री छीतर मल राजोरा, | सहा. प्रशा. अधिकारी, अभियोजन विभाग | 27.08.55 | एडीपी बून्दी | तृतीय बार |
| 12. | श्री श्रीयालाल मीना, | कनिष्ठ सहायक अभियोजन विभाग | 09.06.55 | एडीपी दौसा | तृतीय बार |
| 13. | श्री घनश्याम बारोलिया, | कनिष्ठ सहायक अभि. विभाग | 25.01.55 | एडीपी दौसा | तृतीय बार |
| 14. | श्री छीतर मल महावर, | कनिष्ठ सहायक अभि. विभाग | 01.01.56 | एडीपी दौसा | तृतीय बार |
| 15. | श्री देवी सिंह, | कनिष्ठ सहायक अभि. विभाग | 01.09.55 | एडीपी जालोर | तृतीय बार |
| 16. | श्री रमेश चन्द्र जोशी, | वरिष्ठ सहायक, पुलिस विभाग | 10.06.54 | एडीपी चित्तौडगढ | तृतीय बार |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 17. | श्री नवल सिंह जाटव | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 19.03.55 | एडीपी चित्तोडगढ़ | चतुर्थ बार |
| 18. | श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 11.03.55 | एडीपी झुन्झूनू | चतुर्थ बार |
| 19. | श्री भागीरथ मल, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 13.03.54 | एडीपी सीकर | चतुर्थ बार |
| 20. | श्री ताराचन्द टांक, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 10.07.54 | एडीपी अजमेर | चतुर्थ बार |
| 21. | श्री ओम प्रकाश सिंह, | वरिष्ठ सहायक, अभि. विभाग | 02.10.55 | एडीपी जयपुर शहर द्वितीय | चतुर्थ बार |

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्ति अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधधीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00107/H-10/18 दिनांक 16.08.2018 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर